

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

18 JUL 2016

क्रमांक: प.27(7)न्याय/2014


जयपुर, दिनांक

:: परिपत्र ::

प्रायः यह देखा गया है कि विधि सेवा संवर्ग/विधि रचना सेवा संवर्ग के अधिकारियों द्वारा सम्पत्ति की सूचना समय पर उपलब्ध नहीं कराई जाती है, जिसके कारण कार्मिक विभाग की वेबसाईट पर सूचना अपलोड नहीं हो पाती है। सभी कार्मिक सम्पत्ति की सूचना प्रतिवर्ष 1 जनवरी को विभाग की ई-मेल आई.डी. law.dept@rajasthan.gov.in पर उपलब्ध कराए एवं इस वर्ष जिन कार्मिकों द्वारा सम्पत्ति की सूचना नहीं भिजवाई गई है, वह अपनी सम्पत्ति की सूचना भी ई-मेल आई.डी. पर अविलम्ब उपलब्ध कराए।


विधि सेवा संवर्ग/विधि रचना सेवा संवर्ग के अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि निम्नानुसार सूचनाएं 7 दिवस में विभाग की ई-मेल आई.डी. पर अविलम्ब प्रेषित करे:-

1. Name
2. Father's Name
3. Employee Code
4. DOB
5. Mobile No.
6. Email - ID
7. Joining Year in Service


18-07-16.
(डॉ. कैलाश चन्द्र अटवासिया)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विधि सेवा संवर्ग/विधि रचना सेवा, संवर्ग के समस्त अधिकारीगण।
2. प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
3. रक्षित पत्रावली।


18-07-16
संयुक्त शासन सचिव